

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,

राजवंशी नगर,

पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजय शर्मा पिता- स्व० माधव शर्मा ग्राम- महेश परासी पो०- गोरकट्टी थाना- उपहारा जिला- औरंगाबाद	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
			65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 65,000/- (पैंसठ हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 000856 मूल रूप में संलग्न ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को किसी भी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

9/7/2026

ज्ञापांक 1966(14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /
विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक

आई. टी. मैनेजर स्वास्थ्य

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पूनम देवी पति- राजेश कुमार ग्राम- मटिया पाडेय वार्ड 10 पो०- मनियारा थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगज सीआर न०- 108112300543595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सीमा देवी पति- विनोद राय ग्राम- सबलपुर नेवल टोला पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न०- 108112502462627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अजित कुमार सिंह पिता- उपेन्द्र सिंह ग्राम- खानपुर पकरी वार्ड 14 पो०- खानपुर पकरी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112600221204	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	चन्दन कुमार पिता- सुरेश प्रसाद सिंह ग्राम- जनकपुर पो०- फतेहपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर न०- 108112601362065	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	सजय सिंह पिता- रामकिशुन सिंह ग्राम- बसर पो0- अराई थाना- अतरी जिला- गयाजी सीआर न0- 108112300421066	किडनी रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	सुजीत कुमार पिता- पवन कुमार ग्राम- मेहदवां पो0+थाना- मनेर जिला- पटना सीआर न0- 108112502088121	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
7	फरहत फातमा पिता- सैयद अली अमीर नकवी ग्राम- कमरा बनारस बैंक वार्ड 16 पो0- प्रधान डाकघर थाना- नगर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 108112501017832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	अजिम पिता- अब्दुल रज्जाक ग्राम- नया मोहल्ला पो0+थाना- हिलसा जिला- नालदा सीआर न0- 108112600420869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रामानुज सिंह पिता- चन्द्रमन सिंह ग्राम- रायपुरा पो0- रामबिलाश नगर थाना- मुफ्फसिल जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112403668272	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शाता सिन्हा पति- उपेन्द्र कुमार सिन्हा ग्राम- पीसी कॉलोनी बिहाइड तिवारी बेचर पो0- लोहिया नगर थाना- ककडबाग जिला- पटना सीआर न0- 108112501910995	LE Cataract	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
11	मजू देवी पति- सुधीर सिंह ग्राम- रामसापुर वार्ड 11 पो0- खरिका थाना- सोनपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112300907392	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	सुमन साह पिता- उदगार साह ग्राम- शोकहारा वार्ड 01 पो0- बरौनी थाना- फुलवरिया जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112600717021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	शैल कुमारी कुवर पति- स्व0 राम चंद्र साह ग्राम- जैतपुर खुर्द पो0- जैतपुर कला थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ सीआर न0- 108112503495693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सगीता देवी पति- रविंद्र सिंह ग्राम- मधवा वार्ड 09 पो0- लालगज सेहरा थाना- पालीगज जिला- पटना सीआर न0- 108112501162832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	सियावती देवी पति- राम सागर राय ग्राम- जुरखा पो0- बरहेता थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112503388188	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			14,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 14,65,000/- (चौदह लाख पैसठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलिसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1963(14)

पटना, दिनांक 09/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/7/26
निदेशक प्रमुख

सं० सो 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मधलेश्वर शर्मा पिता- राजेंद्र सिंह ग्राम- रघुनाथपुर भेलूरा शेखोपुर पो०- नगवा थाना- नौबतपुर जिला- पटना सीआर नं०- 109112202549384	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	अमन कुमार पिता- राम एकवाल राम ग्राम- पटेढी भाई खान पो०- अनिरुद्ध बेलसर थाना-बेलसर जिला- वैशाली सीआर नं०- 109112600976829	Sub Acute Sclerosis Pancreatitis	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	राजकुमार पंडित पिता- लक्ष्मी पंडित ग्राम- केलाविबगहा वार्ड 05 पो०+थाना- तेल्हाडा जिला- नालंदा सीआर नं०- 109112500685134	Diabetic Macular Edema	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	रजू देवी पति- शैलेश कुमार ग्राम- मुरलीचक जगदेव पथ पो०- बीवी कॉलेज थाना- हवाई अड्डा जिला- पटना सीआर नं०- 109112600212489	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	केशव सिंह पिता- कैलाश सिंह ग्राम- चौहार चक पो0- आनंदपुर थाना- करपी जिला- अरवल सीआर न0- 109112000586865	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
6	सगिता देवी पति- गगन कुमार सिंह ग्राम- दुर्गापुर वार्ड 03 पो0- सेमापुर थाना- बरारी जिला- कटिहार सीआर न0- 109112501663771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	कलावती देवी पति- दुलारचंद यादव ग्राम- मोथा पो0- भदासी थाना- अरवल जिला- अरवल सीआर नं0- 109112600419733	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	आरव कुमार पिता- दीपक कुमार ग्राम- इदौली वार्ड 12 पो0- मराछी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान सीआर नं0- 109112600361093	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
9	ऋषव राज पिता- प्रकाश कुमार ग्राम- भुसरा पो0- हसना थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 109112600387092	कोकलियर इम्प्लांट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
10	भूषण पटेल पिता- जमादार पटेल ग्राम- मलखाचक पो0+थाना- दिघवारा जिला- सारण सीआर न0- 109112500458413	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	विमला देवी पति- गौतम सिंह ग्राम- सम्मत्तपुर वार्ड 02 पो0- मझौली थाना- सालीमपुर जिला- पटना सीआर न0- 109112601068519	ब्रेन हेमरेज	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	कामेश्वर पांडेय पिता— बशीधर पांडेय ग्राम— सुल्तानपुर वार्ड 05 पो0— सुल्तानपुर थाना— डेरनी जिला— सारण सीआर न0— 109112401307721	ब्रेन ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	अनुषा देवी पति— राजेन्द्र सिंह ग्राम— बधौर नारायणपुर वार्ड 08 पो0— बधौर नारायणपुर थाना— अगिआँव बाजार जिला— भोजपुर सीआर नं0— 109112500690871	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुदरम कुमार पिता— धनजी सिंह ग्राम— चनवाथ वार्ड 05 पो0— चनवाथ थाना— सोनवर्षा जिला— बक्सर सीआर नं0— 109112601138568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	आर्यन कुमार पिता— बिजय कुमार राम ग्राम— बिक्रमशेर वार्ड 06 पो0— महुआही थाना— बाबुबरही जिला— मधुबनी सीआर न0— 109112501352554	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	अमित कुमार पिता— सनोज कुमार ग्राम— बगपुर वार्ड 17 पो0— बगपुर थाना— परवलपुर जिला— नालंदा सीआर न0— 109112600619431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	काजल कुमारी पिता— अशोक सिंह ग्राम— पीठबइयाँ पो0— डोइया थाना— दिनारा जिला— रोहतास सीआर न0— 109112502674849	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	उमिता देवी पति— राज कुमार राय ग्राम— शेरपुर नया बस्ती पो0— घेघटा थाना— मुफसिल जिला— सारण सीआर न0— 109112302963536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	आशा महासेठ पति- गोपाल महासेठ ग्राम- चिचरी बुजुर्ग राजनगरगज पो0+थाना- राजनगर जिला- मधुबनी सीआर नं0- 109112600217278	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
20	सरिता कुमारी पति- रंजित यादव ग्राम- कोतवाली चौक भौआडा पो0- भौआडा थाना- टाउन जिला- मधुबनी सीआर नं0- 109112600811366	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
21	रामप्रवेश सिंह पिता- कमलशरण सिंह ग्राम+पो0- तोप थाना- शाहजहापुर जिला- पटना सीआर नं0- 109112601151505	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	श्यामपडी देवी पति- राजनाथ यादव ग्राम- रघुनाथपुर प्राइमरी विद्यालय के पास पो0- सिद्धिपुर थाना- खानपुर जिला- पटना सीआर नं0- 109112302032052	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
23	अनुप्रिया कुमारी पिता- मनेश कुमार चौपाल ग्राम- पिंडारूच वार्ड 01 पो0- पिंडारूच थाना- कमतौल जिला- दरभंगा सीआर नं0- 109112601021423	कोकलियर इम्प्लाट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
24	दरोगा साह पिता- काशी साह ग्राम- साहेबनगर पो0- जट डुमरी थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर नं0- 109112400533124	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	रेहना खातून पति- मुख्तार अंसारी ग्राम- कोडाडीह पो0- छप्परडीह थाना- सोनो जिला- जमुई सीआर नं0- 109112600924306	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	रेणु कुमारी पति— अरुण कुमार शर्मा ग्राम— मेरा पो0— खानपुर थाना— खानपुर खीडीमोड जिला— पटना सीआर न0— 109112501729917	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	राम कुमार सिंह पिता— सत्यनारायण सिंह ग्राम— सेरुकाही पो0— काबिलपुर थाना— काँटी जिला— मुजफ्फरपुर सीआर नं0— 109112600366711	हृदय रोग पीटीसीए	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
28	आशा देवी पति— रामजी सिंह ग्राम— एम भी कॉलेज के पास चरित्रवन बक्सर पो0— बक्सर थाना— मोडल जिला— बक्सर सीआर नं0— 109112401070268	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
29	आरती शर्मा पति— अनिल कुमार शर्मा ग्राम— दक्षणी कोयरी टोला हिलसा पो0+थाना— हिलसा जिला— नालदा सीआर न0— 109112600299215	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
30	गीता देवी पति— कल्लु प्रसाद ग्राम— गोविंदपुर पो0+थाना— फतुआ जिला— पटना सीआर न0— 109112601309842	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
31	आर्यन कुमार पिता— गौतम कुमार ग्राम— बाला बिगहा वार्ड 10 पो0— केसवा थाना— परसबिगहा जिला— जहानाबाद सीआर नं0— 1091126011147661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	जवाहर लाल सिंह पिता— चुन्नी लाल सिंह ग्राम+पो0+थाना— सिकटी जिला— अररिया सीआर न0— 109112300020278	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।

33	मिथिलेश शुबेलाल राम पिता- शुबेलाल राम ग्राम- महथ पो0- बलनी महथ थाना- भैरवस्थान जिला- मधुबनी सीआर नं0- 109112600505117	L4-L5 PIVD	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
34	श्याम देव शर्मा पिता- राम इकबाल शर्मा ग्राम- कुबरी पो0- उसरी थाना- शहर तेलपा जिला- अरवल सीआर न0- 109112502124822	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
35	अश्वनी शर्मा पिता- तारणी शर्मा ग्राम+पो0- झंझरा थाना- पसरहा जिला- खगडिया सीआर न0- 109112201604110	सर्जरी (फुट अल्सर)	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
36	सागर देवी पति- श्याम बाबू सिंह ग्राम- पिपरा वार्ड 10 पो0- भरवारा थाना- सिंघवाडा जिला- दरभंगा सीआर न0- 109112600099674	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
37	अरविन्द कुमार सिंह पिता- नागेन्द्र सिंह ग्राम- बिष्णुपुर पो0- बिष्णुपुर चट्टी थाना- देव जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 109112502274514	Knee Amputation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			42,25,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 42,25,000/- (बेआलीस लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~0000000000~~ 0002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1964(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अकबरी खातून पति- मो० उमर ग्राम- माडर दक्षिणी पो०- माडर थाना- मोरकाही जिला- खगडिया केस फाईल नं०- 19एफ2025/000630	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	कृतिका कुमारी पिता- शिव शंकर कुमार ग्राम- फरदोगोला भगवानपुर पो०- भगवानपुर थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026/001684	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	रम्भा देवी पति- छोटेलाल बैठा ग्राम- कुकुरा पो०- मनियारी थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल नं०- 19एफ2026/003046	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	रौनक कुमार पिता- रोहित कुमार ग्राम- आनंदपुर पो०- माछीपुर थाना- लोदीपुर जिला- भागलपुर केस फाईल नं०- 19एफ2026/003477	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	शकुतला देवी पति- जीतेन्द्र राय ग्राम- खैरा पो0- जैतपुर थाना- सरिया जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002746	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	शक्ति देवी पति- अर्जुन कुमार ग्राम- नसोपुर पो0- बेला तरारी थाना- नौबतपुर जिला- पटना केस फाईल नं0- 11एफ2026 / 013725	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	अलका कुमारी पति- अमल कुमार ग्राम- दुर्गापुर पो0+थाना- कटिहार जिला- कटिहार केस फाईल न0- 11एफ2023 / 032155	कैसर रोग	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	रौशन खातून पति- मो0 अख्तर ग्राम- साहदुल्लापुर पो0- चदनपट्टी थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000861	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	प्रियका सिंह पति- मजेश कु मार सिंह ग्राम+पो0- उचकागाव थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007157	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
10	दिलीप कुमार सिंह पिता- कमला प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- सरोजा थाना- बलवाहाट जिला- सहरसा केस फाईल न0- 11एफ2023 / 001833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	नागिन्द्र साह पिता- रामानंद साह ग्राम- मौलानगर पो0- लखनपुर थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 006294	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	पूजा देवी पति- अजय कुमार ग्राम- बूढानाथ सडक खरमनचक पो0- नया बाजार थाना- आदमपुर जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 11एफ2025 / 003622	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	रूणा सिंह पति- रवि कुमार सिंह ग्राम+पो0- भुरकुरवा थाना- राजेपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026 / 002951	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	संजय कुमार पाण्डेय पिता- त्रिभुवन पाण्डेय ग्राम- मरहा पो0+थाना- सिन्हा जिला- भोजपुर केस फाईल न0- 11एफ2025 / 028226	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
15	सजय कुमार पिता- शम्भू प्रसाद ग्राम- हजरतपुर पो0- खरहर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 006967	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	नितेश कुमार पिता- रमेश प्रसाद सिंह ग्राम- लालगढ योगिया पो0- मकसुदपुर कररिया थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007376	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
17	रिकी सिन्हा पति- उमेश सिंह ग्राम+पो0- अहियापुर थाना- साहेबगज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 004615	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
18	शोभा देवी पति- महेश साव ग्राम- नया बाजार लखीसराय पो0+थाना- लखीसराय जिला- लखीसराय केस फाईल न0- 12एफ2025 / 007627	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	तेतरी देवी पति- अकलू पासवान ग्राम- चकमुरपुर पो0- दामोदरपुर थना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 003547	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	शिवनाथ साह पिता- जनक साह ग्राम+पो0- जारग रामपुर थाना- बेलसर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025 / 003743	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
21	मंजू देवी पति- रामसेवक साह ग्राम- हिरौता पो0- हिरौता दुम्मा थाना- हिरम्मा जिला- शिवहर केस फाईल न0- 19एफ2025 / 001801	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
22	रजन देवी पति- संजय राय ग्राम- अंडहरा पो0+थाना- परसौनी जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000515	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
23	आदित्य कुमार पिता- अमरेश राय ग्राम- रोहुआ पो0- साहपुर थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2025 / 007094	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	लालमुनि देवी पति- सजय पासवान ग्राम- बलुआ रमपुरवा पो0- बलुआ रमपुरवा थाना- बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025 / 006985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	खुशी कुमारी पिता- कृष्णा महतो ग्राम+पो0- सादिकपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 004244	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नवना देवी पति- परमा नन्द झा ग्राम+पो0- कटैया थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी केस फाईल न0- 19एफ2026/001587	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	राजेद्र महतो पिता- श्रीचन्द्र महतो ग्राम- सुरमार मेयारी पो0- बाजिदपुर मेयारी थाना- सरायरंजन जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/002543	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मुनमुन कुमारी पति- विनोद कुमार शर्मा ग्राम+पो0+थाना- मथुरापुर जिला- समस्तीपुर केस फाईल न0- 11एफ2024/031948	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	रामदेव मडल पिता- ज्योतिष मडल ग्राम- धनाय पो0- जेठौर जमुआ थाना- अमरपुर जिला- बाका केस फाईल न0- 19एफ2026/003829	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
30	मो0 अफरोज शाह पिता- मो0 अरूयूब शाह ग्राम+पो0- गोविंदपुर बेला थाना- बलिगाव जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026/003355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	अनागिता पति- प्रमोद कुमार ग्राम- बौद्ध आश्रम भगवानपुर चौक पो0- प्रधान डाकघर थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2025/003530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	बिक्रम चौधरी पिता- अकलू चौधरी ग्राम- खैरा टोला पो0- नौतन दुबे थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/002474	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

33	शीला देवी पति- पप्पू सहनी ग्राम+पो0+थाना- बेलसड जिला- सीतामढी केस फाईल न0- 19एफ2026/002493	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	दिवाकर सिंह पिता- स्व0 सुदीन सिंह ग्राम- मकरपुर पो0- करार थाना-सन्हौला जिला- भागलपुर केस फाईल न0- 19एफ2026/003580	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	सगीता देवी पति- ललित सिंह ग्राम- राजापाकर बनघारा पो0+थाना- राजापाकर जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026/002301	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	रेनू कुमारी पति- सत्य नारायण साह ग्राम- बुलबुलवा पो0- बगरा फिरोज थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2024/001753	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	भुवन साह पिता- रामचन्द्र साह ग्राम- पैठानपटी पो0- दरियापुर थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2026/000800	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
38	श्रीमती देवी पति- कैलाश राउत ग्राम+पो0+थाना- भेलाही जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0- 19एफ2025/007487	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	आराधना कुमारी पिता- श्याम सुन्दर माझी ग्राम+पो0- सालमारी थाना- आजमनगर जिला- कटिहार केस फाईल न0- 19एफ2026/002939	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	अलीमुद्दीन पिता- युनुस ग्राम- दुलाली मिलिक पो0- बनगामा थाना- बहादुरगज जिला- किशनगज केस फाईल न0- 19एफ2026/002830	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

41	उपेन्द्र कुमार पंडित पिता— रामपूजन पंडित ग्राम— हरख पकडी पो0— सतजोरा बाजार थाना— पानापुर जिला— सारण केस फाईल न0— 11एफ2025/011862	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सहनाज खातून पति— मो0 सलीम ग्राम— पैगम्बरपुर पो0— सरैया फैक्ट्री थाना— सरैया जिला— मुजफ्फरपुर केस फाईल न0— 19एफ2026/001751	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
43	रीता सिंह पति अनिल कुमार सिंह ग्राम— बेदौल पो0—रामपुर गगौली थाना— पुरनहिया जिला शिवहर केस फाईल न0— 19एफ2025/007009	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			31,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 31,15,000/- (इक्कीस लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 ~~0002695~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0—TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

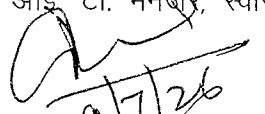
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1965(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/7/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक .

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	सरस्वती देवी पति— विजय राम ग्राम—करन खुदरीया पोस्ट—डुमरसन बगरा थाना—मशरक जिला—सारण एम0सी0एस— 10359319/ जी 13428	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	जयमाला देवी पति— रतन मडल ग्राम— गाधीपुर पोस्ट—बरियारपुर थाना—बरियारपुर जिला— मुंगेर एम0सी0एस—एफ 92563	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अमेरिका देवी पति— हरेन्द्र यादव ग्राम— जगमोहरा पो— जगमोहरा थाना— बिथान जिला— समस्तीपुर एम0सी0एस— 10365077	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सगीता देवी पति— बिपिन मिस्त्री ग्राम— बाजीतपुर पो0+थाना नरहट जिला— नवादा एम0सी0एस—जी0 13199 / 10359090	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	सगीता देवी पति- लौटन राम ग्राम- भतौलीया पो0-गोरौल थाना-गोरौल जिला- वैशाली एम0सी0एस-जी0 11000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	रेखा देवी पति- मुकेश पडित ग्राम-बनौली खुर्द पो0-बनौली खुर्द थाना- खानपुर खीडीमोड जिला- पटना एम0सी0एस-एफ 52426	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	अनिता देवी पति- कैलाश मेहता ग्राम- मोहम्मदपुर गोगरा टोली पोस्ट- दुर्गागज थाना-कदवा जिला- कटिहार एम0सी0एस-एफ 97261	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	रीता देवी पति- सुनील सिंह ग्राम-रामदीरी राम नगर पो0-रामदीरी थाना-मटिहानी जिला बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 26763	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	श्रीकांत पासवान पिता- कृष्णा पासवान ग्राम- गोविंदपुर पोस्ट+थाना- फतुहा जिला-पटना एम0सी0एस-10361235	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	अमित कुमार पिता- नागेश्वर सिंह ग्राम- पैकपार पो0- पैकपार थाना- भरगामा जिला- अररिया एम0सी0एस-10363821	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	लखन लाल पिता- स्व0 गणेश राम ग्राम-लास्ट गली जनता कोलनी बैरागी पो0- आर0 एस0 गया थाना-डेलहा जिला-गया एम0सी0एस-10355429 / जी0 9538	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	अमोध चौधरी पिता-योगेन्द्र चौधरी ग्राम-पचौत पो0- पचौत थाना-बेलदौर जिला-— खगडिया एम0सी0एस-10363823	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	रजीत कुमार पिता- मोती लाल राम ग्राम+पो0-पुराना हरिपुर थाना- कोईलवर जिला- भोजपुर एम0सी0एस-10362624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	मनोज कुमार पिता- सदानंद प्रसाद ग्राम- झडा चौक बरबीघा पो0- बरबीघा थाना बरबीघा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-10365247	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	रजन कुमार सोनी पिता- रामदेव प्रसाद ग्राम- पहाडपुर पो0- फतेहपुर थाना-फतेहपुर जिला- गया एम0सी0एस-10365646	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	उर्मिला देवी पति- उमेश कुमार राम ग्राम-योगा खरैया पो0-पुरहरा थाना- चौरी जिला- भोजपुर एम0सी0एस-डी0 32102	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
17	प्रेमा देवी पति- रविन्द्र कुमार राय ग्राम- सुभाष नगर पो0- पालेटेकनिक थाना-सहायक खजाची जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10361419	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	रोहिन सिंह पिता- महेन्द्र सिंह ग्राम- रामपुर परिहट गोधीयारी पो0- अजहकोपा थाना- रुपौली जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10361234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	बेबी देवी पति-सुनील कुमार वर्मा ग्राम- उसरी पो0- उसरी बाजार थाना-बैकुठपुर जिला-गोपालगंज एम0सी0एस-ई0 14194	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	साकिर हुसैन पिता- सिराजुद्दीन ग्राम-यासीन टोला कमरा पो0-माधोपुर थाना-बलरामपुर जिला-कटिहार एम0सी0एस-10363661	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	राहुल कुमार पिता-मुन्नी रविदास ग्राम-मखदुमपुर पो0- हथियावा थाना-महकार जिला-गया एम0सी0एस-एफ 10560	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अनिता देवी पति- रविन्द्र राय ग्राम- अवौरी पोस्ट- मढौरा थाना-मढौरा जिला-सारण, छपरा एम0सी0एस-10362671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	दिनेश प्रसाद पिता- छोटे लाल प्रसाद ग्राम- भेलाही पो0 भेलाही थाना-भेलाही जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10362330	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	लालमती देवी पति- शेष राम ग्राम- बलुआ पो0- पोखरिया थाना- रामगढवा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10360994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	सरीता देवी पति- मंजु हेम्ब्रम ग्राम-सथाली टोला शहीदगंज पो0- भवानीपुर थाना- भवानीपुर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस-10363060	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	अजली देवी पति मनोरंजन कुमार ग्राम-छितरौली पोस्ट- कमला गोपालपुर थाना- मनेर जिला पटना एम0सी0एस-10297480	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	राजदेव मुखिया पिता-मीदु मुखिया ग्राम-माधोपुर बैरया पो0-अमोलवा थाना-गौनाहा जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-10363323	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	विजय प्रसाद यादव पिता- शुभ नारायण प्रसाद ग्राम-दौलतपुर पो0- देवन थाना-कादिरगज जिला- पटना एम0सी0एस- 10366063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	भगरासन प्रसाद पिता-स्व0 मुखलाल साह ग्राम- राजेन्द्र नगर पो0- गोपालगज थाना+जिला गोपालगज एम0सी0एस-103695116	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सुरेश मडल पिता- बिपु मडल ग्राम- गोकुलपुर वार्ड 10 पो0 गोकुलपुर थाना-के0 नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-10320923/एफ 75031	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	परमेश्वरी देवी पति- शिवजी गडेरी ग्राम- रघुनन्दनपुर पो0- बहेडा थाना बहेडा जिला- दरभंगा यु0एचआईडी-10294874 एफ 48982	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	पवन सिंह पति- राम एकबाल सिंह ग्राम-170,आनन्दपुरी वेस्ट बोरिंग केनाल रोड पोस्ट- जी0पी0ओ0 थाना- श्रीकृष्णपुरी जिला- पटना एम0सी0एस-10364054	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	अनिता देवी पति- हेमन्त कुमार सिंह ग्राम- बाजिदपुर पो0- मिर्जापुर थाना-बेगुसराय टाउन जिला- बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 13609 / 10359500	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	ललिता देवी पति- गंगा माझी ग्राम- कपसहान पो0- फुलवरिया थाना- मकेर जिला सारण एम0सी0एस-10364546	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	कलावती देवी पति- ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम- बसोती पो0-शोभेपुर थाना-भेल्दी जिला- सारण एम0सी0एस- 10366516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	फुलेश्वर यादव पिता- गरीब यादव ग्राम- करमनिर्यौ पो0- बलजोडा थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल एम0सी0एस-जी0 5254	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	पार्वती देवी पति- कारू महतो ग्राम-पचलोवा पो0- पचलोवा थाना-इस्लामपुर जिला नालंदा एम0सी0एस-10363942	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	कार्तिक कुमार पिता- जागेश्वर राम ग्राम-मुसापुर पो0 चादे थाना-पातेपुर जिला वैशाली एम0सी0एस-10354181	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	गंगा राम मडल पिता-मिश्री लाल मडल ग्राम- धबौली पो0 लौकही धन्हा थाना-आध्रामठ जिला-मधुबनी एम0सी0एस-10362789	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	भरत प्रसाद पिता— स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद ग्राम—काहलपुरा पो०— छपरा थाना भगवान बाजार जिला—सारण एम०सी०एस—10364394	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
41	राम बालक चौधरी पिता— केदार चौधरी ग्राम—बेलागज पो०—बेल थाना बैरगनियाँ जिला— सीतामढी एम०सी०एस— 10364783	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
42	राम कुमार राम पिता बिहारी राम ग्राम—भुषण वार्ड 6 पो०— बारी थाना सिधिया जिला— समस्तीपुर एम०सी०एस—जी० 4070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
43	गीता देवी पति—शिव पुजन सिंह ग्राम—अमडीहा पोस्ट— रजबरीया थाना—नबीनगर जिला— औरंगाबाद एम०सी०एस—10364461	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
44	पवन देवी पति— सुरेश यादव ग्राम—नन्हकु मडल टोला पो०— दुर्गापुर थाना— मुफसिल जिला खगडिया एम०सी०एस— 10365508	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
45	हीरामनी देवी पति— रामजी कुमार ग्राम— कोहडउल पो०—वाजितपुर थाना— करपी जिला— अरवल एम०सी०एस— 10338579/एफ 92687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
46	मुकेश दास पिता— समोली दास ग्राम—बेदीपट्टी पो०—योगीयारा थाना— फेकला जिला— दरभंगा एम०सी०एस— 10366035	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

47	विजय कुमार पिता- ललन प्रसाद यादव ग्राम- कायम नगर 15 पो0- कायम नगर थाना- गीधा जिला- भोजपुर आरा एम0सी0एस-डी0 73945	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	सुधाशु कुमार मडल पिता-जीवच्छ मडल ग्राम+पो0-सीमारबानी थाना-भरगामा जिला अररिया एम0सी0एस-जी0 12595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	राधिका देवी पति- रामेश्वर राय ग्राम- नजीबा पो0- सहाजितपुर थाना- सहाजितपुर जिला- सारण एम0सी0एस-10365963	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	नीरज कुमार सिंह पिता- तनीक सिंह ग्राम-डेढगाव पो0- डेढगाव थाना- काशीचक जिला नवादा एम0सी0एस- 10362561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	जिच्छा देवी पति- बेचन मडल ग्राम- भरना पोस्ट- पचौत थाना-बेलदौर जिला- खगडिया एम0सी0एस-10366117	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	सफीना खातुन पति मो0 अलाउद्दीन ग्राम- बडी दरगाह पो0+थाना शेखपुरा जिला शेखपुरा एम0सी0एस-10365767	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	जगरनाथ साव पिता- रामचन्द्र साव ग्राम- ग्यासपुर महाजी पो0- काला दियारा थाना-सालीमपुर जिला पटना एम0सी0एस-10364716	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	मो० मसुर आलम पिता— सेराज असारी ग्राम— अखौरी खाप पोस्ट—चेरकी थाना— गुरुआ जिला— गया एम०सी०एस—जी० 13396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
55	कुदन कुमार पिता— अजय यादव ग्राम— साधोपुर पो०—बैसी जहाँगीरपुर थाना— रगरा ओ०पी० जिला— भागलपुर एम०सी०एस—एफ 22720	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	मास्टर अकित कुमार पिता—नवीन कुमार ग्राम—पो०—चौकी थाना—साहेबपुर कमाल जिला—बेगुसराय एम०सी०एस—10366012	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	सत्य नारायण सिंह पिता— कृपानंद सिंह ग्राम+पो०—दिग्घी थाना— मुरलीगज जिला— मधेपुरा एम०सी०एस—10364276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	पुष्पा देवी पति— पिपिन प्रसाद ग्राम— मुसेहरी पो०—सिरिसिया थाना जामो जिला— सीवान एम०सी०एस—एफ 74152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	प्रदुमन प्रसाद सिंह पिता— रिगन प्रसाद सिंह ग्राम—कर्णगढ पोस्ट— मझगाय थाना— हवेली खडगपुर जिला— मुंगेर एम०सी०एस—जी० 2010 / 10347901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
60	मास्टर बादल कुमार पिता— अमरजीत पासवान ग्राम— इब्राहीमपुर पो०—सोहसराय थाना— नुरसराय जिला नालदा एम०सी०एस—10365991	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

61	सजु देवी पति- ब्यास सहनी ग्राम-सोनवर्षा पो0- सोनवर्षा थाना-हरसिद्धी जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10365190	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	राम दुलारी देवी पति- रामनदन पाण्डेय ग्राम-तेरत पो0 नौबतपुर थाना-नौबतपुर जिला पटना एम0सी0एस-एफ 77274	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	गोलु कुमार पिता- रामजी प्रसाद वर्मा ग्राम- सालुगंज पो0+थाना बिहार शरीफ जिला नालदा एम0सी0एस-10305000	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	इसरत खातुन पति- फजले रब ग्राम-मिया के भटकन पो0- मिया के भटकन थाना-आन्दर जिला सीवान एम0सी0एस-10155699/ई0 9806	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
65	गुडिया देवी पति- दीपक कुमार यादव ग्राम- जमहा पो0- डढवा थाना- चन्द्रमडीह जिला- जमुई एम0सी0एस-10363685	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	नाजमा बेगम पति-मो0 मोबीन ग्राम-ईसापुर फेडरल कोलनी पोस्ट+थाना फुलवारीशरीफ जिला पटना एम0सी0एस-10364420	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
67	सुदर्शन राय पिता- मगल राय ग्राम- नजीबा पोस्ट+थाना सहाजितपुर जिला-सारण एम0सी0एस-10363272	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

68	नदन रविदास पिता-सुरो रविदास ग्राम-पो0 अमारी थाना-धरहरा जिला-मुगेर एम0सी0एस-10362363	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	सुनैना कुमारी पति-दुलारचंद कुमार ग्राम-इमलीबाग काको पो0-काको थाना-काको जिला जहानाबाद एम0सी0एस-10365329	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	रामकली देवी पति- इन्द्रदेव प्रसाद यादव ग्राम-श्रीरामपुर पो0-बढौना थाना-हिसुआ जिला नवादा एम0सी0एस-10365281	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	चदा देवी पति- राम प्रवेश सिंह ग्राम- तुर्की पो0- नरवल बरवल थाना-बगहा जिला प0 चम्पारण एम0सी0एस-10363969	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	नसीमा खातुन पति- मो0 असलम ग्राम- चकलोकमान पो0-दलसिहसराय थाना-दलसिह सराय जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 2862	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
73	लड्डु पासवान पिता-श्याम सुन्दर पासवान ग्राम-पो0 बेलारी थाना-शभुगज जिला- बाका एम0सी0एस-एफ 41187 / 10287079	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	रामकली देवी पति- निर्मल सिंह ग्राम-मलथर पो0-असनी थाना-उदवत नगर जिला भोजपुर एम0सी0एस-10365017	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	आहिद अली पिता- अफरोज आलम ग्राम-चाप टोला टेघरा पो0-चाप थाना-सराय ओ0पी0 जिला- सीवान एम0सी0एस-10364758	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	सजीव कुमार यादव पिता- विनोद यादव ग्राम- कुआडी पो0- कुआडी थाना'-कुर्साकाटा जिला- अररिया एम0सी0एस-10351972/ जी0 6081	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	शैल देवी पति-अच्युतानन्द प्रसाद ग्राम-बालापुर 08 पो0-कुण्डवा चैनपुर थाना-घोडासहन जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10365099	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	रुबी कुमारी पति- सुभाष कुमार ग्राम+पो0 सुल्तानपुर थाना-देसरी जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 96067/ 10341959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	सकलदेव राय पिता-स्व0 चन्द्रमा राय ग्राम-सेमरिया पुरब टोला पोस्ट-रिवीलगंज थाना रिविलगज जिला- सारण एम0सी0एस-10360606	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	ज्ञान्ती देवी पति-रामेश्वर सिंह ग्राम-महम्मदपुर पो0-महम्मदपुर थाना-बाढ जिला पटना एम0सी0एस-10365056	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मो0 आजाद पिता- मो0 चाद ग्राम-निहुरा पो0-ढिबडा थाना-जानीपुर जिला-पटना एम0सी0एस-10364637	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	सगीता देवी पति- रामनाथ लाल रस्तोगी ग्राम- मुरलीगंज वार्ड 7 पो0-मुरलीगंज थाना-मुरलीगंज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-10360490	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	शोभा देवी पति- कृष्णा साव ग्राम+पो0-बेढनी थाना-देव जिला औरंगाबाद एम0सी0एस-10364206	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सीता देवी पति- विरेन्द्र ठाकुर ग्राम- जोगा झिगाई पो0-जित झिगाई थाना खैरा जिला जमुई एम0सी0एस-एफ 15254	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	शीला देवी पति-ददन राय ग्राम+पो0-सेमरिया थाना-नौतन जिला सीवान एम0सी0एस-10365416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	कुमकुम देवी पति-हरिकान्त चौधरी ग्राम+पो0 सहियारा थाना- सहियारा जिला- सीतामढी एम0सी0एस-10365438	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	कौशल्या देवी पति- हरेन्द्र महतो ग्राम- बिगही जगदीश पो0- पेउली थाना- मीरगंज जिला- गोपालगंज एमसीएस न0- जी 13406	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	सगीता कुमारी पिता- मुकेश पासवान ग्राम+पो0- बिनोदपुर थाना- सिधौल जिला- बेगूसराय एमसीएस न0- 10366824	कैसर रोग BALL	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

89	रेणु देवी पति- रविद्र ठाकुर ग्राम- ईश्वरपुर पो0- लोदीपुर थाना- परेया जिला- गयाजी एमसीएस न0- जी 7482 / 10353373	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 71,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 71,00,000/- (एकहत्तर लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष', खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1976(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमलेश राय पिता- उत्तिम राय ग्राम- इश्माईलपुर पो0- रामपुर थाना- गरख जिला- सारण रजि नं0- 2627 / 7921	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अनामिका कुमारी पति- रजनीश कुमार ग्राम- गुदरी रोड हाजीपुर वार्ड 21 पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली रजि नं0- 2324 / 33828	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/- (एक लाख पचासी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0026.75 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक "महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1977 (14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002695 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शोभा देवी पति- राम चन्दर महतो ग्राम- रहिमपुर वार्ड 10 पो०- राजाट थाना- अकबरपुर जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शमीमा खातून पति- नजीर अहमद ग्राम-नरीरगीर पो०- आमोदेई थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	सुरेश प्रसाद सिंह पिता- स्व० जमुना सिंह ग्राम- डकरा पो०- औरे थाना- रामगढ चौक जिला- लखीसराय	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	सुनीता झा पति- नन्द किशोर झा ग्राम- बलहा वार्ड 09 पो०- बलहा थाना- सुपौल जिला- सुपौल	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	बालदेव महतो पिता— रामधनी महतो ग्राम+पो0— काकन थाना— जमुई जिला— जमुई	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	सुशीला देवी पति— ब्रह्मदेव राय ग्राम— शर्मा पो0— रूसूलपुर फतह थाना— महुआ जिला— वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मंगल सहनी पिता— कैलाश सहनी ग्राम+पो0— कुल्हडिया थाना— परबत्ता जिला— खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अरुण कुमार सिंह पिता— हरिहर सिंह ग्राम— शोहदा कशोपुर पो0— बहुरिया बिगहा थाना— नरारी कला खुर्द जिला— औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	कृति गोस्वामी पति— उमा शकर पाठक ग्राम— गायघाट साउथ लेन वार्ड 53 पो0— गुलजारबाग थाना— आलमगज जिला— पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	सुरेश सिंह पिता— बसंत सिंह ग्राम+पो0— उरबिशुनपुर थाना— अलीपुर जिला— गयाजी	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सिद्धेश्वर राय पिता— स्व० रामस्वरूप राय ग्राम+पो0— मनोहरपुर कछुआरा थाना— गोपालपुर जिला— पटना	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अयोध्या प्रसाद पिता— स्व० सवाव लाल ग्राम— रानीपुर फुलवारी शरीफ पो0+थाना— फुलवारी शरीफ जिला— पटना	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

13	खुशबू देवी पति- राहुल कुमार ग्राम- जजवारा वार्ड 13 पो0- पवई थाना- सूर्यगढा जिला- लखीसराय	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	आभा देवी पति- अजय सिन्हा ग्राम- जमालपुर वार्ड 231 पो0+थाना- शेखपुरा जिला- शेखपुरा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	रणविजय कुमार पिता- रामकिशोर शर्मा ग्राम- सगुनी पो0- रेवा थाना- मसौढी जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	धीरेन्द्र कुमार पिता- प्रेम नारायण शर्मा ग्राम+पो0- पुराण थाना- करपी जिला- अरवल	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			15,55,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,55,000/- (पन्द्रह लाख पचपन हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 9/7/2026

ज्ञापाक 1978 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.0.2.675.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/26
निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
कंकडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गुप्तेन्द्र कुमार पिता- बनवारी प्रसाद ग्राम- खरगूबिगहा पो0- ओहारी थाना- कादिरगज जिला- नवादा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राम नाथ सिंह पिता- स्व0 राम बिलाश सिंह ग्राम- चमरहारा वार्ड 08 पो0- महनार रोड थाना- महनार जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 0026.95... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम- "राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1979(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002485 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/26
निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,
राजाबाजार,
पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अवधेश कुमार पिता- ब्रज नंदन सिंह ग्राम- बिसुनपुर तरौरा वार्ड 04 पो०- भगवतपुर तरौरा थाना- महुआ जिला- वैशाली रजि नं०- 3000348628	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	चंचला देवी पति- राजेद्र यादव ग्राम- टाड पर गादी कटौना वार्ड 02 पो०- कटौना थाना- मलयपुर जिला- जमुई रजि नं०- अंकित नहीं है।	स्पाइन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	मास्टर लक्ष्य बाबू पिता- प्रभात कुमार ग्राम- नन्दलाल छपरा पो०- पूर्वी लक्ष्मीनगर थाना- रामकृष्णा नगर जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 453472	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	आलिया नाज पिता- मो० जाहिद ग्राम- दरगाह रोड मासूम गली सफेद हाउस महेन्द्रू वार्ड 50 पो०- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना यूएचआईडी नं०- 3000572010	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मीना देवी पति- पंकज कुमार ग्राम+पो0+थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा यूएचआईडी न0- 3000604916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	कमला देवी पति- गोपाल शरण ग्राम- पांचु हिसुआ पो0+थाना- हिसुआ जिला- नवादा यूएचआईडी न0- 3000641335	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	रवीता भारती पति- अखिलेश कुमार मडल ग्राम- जौनिया वार्ड 09 पो0- बस्तौल थाना- प्राणपुर जिला- कटिहार यूएचआईडी न0- 3000622080	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	वदना सिन्हा पति- अरविन्द कुमार ग्राम- चोंदी वार्ड 07 पो0+थाना- बाढ़ जिला- पटना यूएचआईडी न0- 3000642008	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	खेरून निशा पति- अताबुर रहमान ग्राम- खोरबारी मटकोपा वार्ड 03 पो0- मटकोपा थाना- कसबा जिला- पूर्णिया यूएचआईडी न0- 3000644440	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	बेबी देवी पति- बिनोद सिंह ग्राम- महम्मदपुर पो0- बहादुरपुर थाना- बडहरिया जिला- सिवान यूएचआईडी न0- 3000584824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	महेन्द्र पासवान पिता- रामदेव पासवान ग्राम- दलानिचक वार्ड 14 पो0- एराई बेनीपुर थाना- दनियावां जिला- पटना यूएचआईडी नं0- 3000632463	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	दिलीप कुमार पिता- गिरजा राय ग्राम- दरिहारा चाटर्भुज वार्ड 03 पो0- दरिहारा थाना- दरियापुर जिला- सारण रजि नं0- 3000427344	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			10,25,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,25,000/- (दस लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002695.....

.द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०- HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1980(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राम लखन साह पिता— लक्ष्मी साह ग्राम— युसुफगंज पो0— लालबाग थाना— लहेहिया सराय जिला— दरभंगा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	उर्मिला देवी पति— अभय शाही ग्राम+पो0+थाना— फुलवरिया जिला— गोपालगंज	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
3	आकाश कुमार पिता— सुधीर प्रसाद ग्राम— तरोखर पो0+थाना— गिरियक जिला— नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
4	सरोज कुमारी पति— सत्येन्द्र कुमार सक्सेना ग्राम— खरथुआ टोला महुआबाग पो0— खरथुआ थाना— घोखुलपुर जिला— नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
5	केशो राय पिता— दीपा राय ग्राम— गजपर पो0+थाना— अथमलगोला जिला— पटना	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

6	दिवाकर कुमार पिता- जयनारायण साह ग्राम+पो0- गोरीगामा डीह थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
7	ऋषिदेव मिश्रा पिता- शितल मिश्रा ग्राम- जितवारपुर पो0- पिपरा थाना- गोविन्दगंज जिला- पूर्वी चम्पारण	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
8	सोनिया देवी पति- राम लगन राय ग्राम- रसूलपुर हबीब पो0- चादपुरा नन्हकार थाना- चांदपुरा जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	साहिबा खातून पति- परवेज आलम ग्राम- शुभकरपुर पो0- बलभद्रपुर थाना- वीरपुर जिला- सुपौल	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	बिरेन्द्र कुमार पिता- श्याम किशोर यादव ग्राम- बलवापर पो0- मंजौर थाना- बारसलीगंज जिला- नवादा	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
11	आशीष कुमार शर्मा पिता-विजय शर्मा ग्राम-बीबीगंज पो0- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			12,60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,60,000/- (बारह लाख साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002625 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्रांड उड फ्लौर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 9/7/2026

ज्ञापक 1981 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर्जाफ आर्थो स्पाइन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राज किशोर मंडल पिता- झीगुर मंडल ग्राम- बरहुली पो०- कोरा थाना- सिधवाडा जिला- दरभंगा	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	शीला देवी पति- जगल यादव ग्राम- लोहरा पो०- रथौस थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	करपुरा देवी पति- नित्या नद झा ग्राम+पो०- मनिकौली थाना- सिधवाडा जिला- दरभंगा	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	आर्यन कुमार पिता- श्याम कुमार ग्राम- बाकरगंज पो०+थाना- लहेरियासराय जिला- दरभंगा	ड्रामा	65,000	पैंसठ हजार स्वीकृत।
5	नन्द कुमार पिता- रामबाबू महतो ग्राम- कमलपुर पो०+थाना- लौकहा जिला- मधुबनी	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

6	नगीना देवी पति- रमेश सहनी ग्राम+पो0- पहसौल थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत
7	राज किशोर पासवान पिता- गगो पासवान ग्राम- नौडेगा पो0- दोहट नारायण थाना-बहेडी जिला- दरभंगा	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			5,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,60,000/- (पाँच लाख साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002675... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्जफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 9/7/2026

ज्ञापाक 1982(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002675... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक.. . . .

विषय.- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सीमा देवी पति- सनोज महतो ग्राम- धेनुकी पो0+थाना- मढौरा जिला- सारण	DJ Stenting	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	आशा देवी पति- लालबाबू कुमार यादव ग्राम- सिसवा वार्ड 07 पो0- केरवा थाना- इसुआपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नायरा कुमारी पिता- बिरेन्द्र प्रसाद ग्राम- कुतुबगज पो0- मिरजानहाट थाना- बबरगंज जिला- भागलपुर	Meningioma	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			1,60,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002685 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank

of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्राच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1983(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं0...002655 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशु देवी पति- सजय कुमार ग्राम+पो०- सदावेह थाना- दुल्हिन बाजार जिला- पटना	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	मधुसूदन शर्मा पिता- स्व० रामाशीष शर्मा ग्राम- पिरियावा पो०- अतियावां थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	हृदय रोग डीवीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	निर्मला देवी पति- राजेश्वर सिंह ग्राम- जमनापुर पो०- अलावलपुर थाना- गौरीचक जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,70,000/- (तीन लाख सत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ

इण्डिया, शाखा का नाम—हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड स0 **SBIN0009005** में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अछादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1984(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स०...0.0.2.695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
कंकडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक. ...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है—

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जैमाला देवी पति— राम जनम सिंह ग्राम— एकरा पो0— थथान बुजुर्ग थाना— हाजीपुर जिला— वैशाली	वन नी रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	रंजीत कुमार पिता— मुसाफिर यादव ग्राम— राजपुर पो0— कुहिला थाना— अकबरपुर जिला— नवादा	ड्रामा	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
3	किरण कुमारी पति— रंजीत कुमार ग्राम— राजपुर पो0— कुहिला थाना— अकबरपुर जिला— नवादा	ड्रामा	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	दीपू बिन्द पिता— अकलू बिन्द ग्राम— भमरिया पो0— नरियामा थाना— रामगढ़ जिला— लखीसराय	स्पाईन सर्जरी	90,000	नब्बे हजार स्वीकृत।
5	बुधू मोची पिता— किसुन मोची ग्राम— मिराजी चक पो0— कसारी थाना— गौरीचक जिला— पटना	ड्रामा	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।

6	निर्मला कुमारी पति- सुभाष करपटने ग्राम- बैकमेंस कॉलोनी चित्रगुप्त नगर पो- लोहिया नगर थाना- चित्रगुप्ता नगर जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
7	सूरज कुमार पिता- विदेशी राय ग्राम+पो- माधोपुर थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			5,45,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000 /-(पाँच लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0"खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1985(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलान चेक सं0 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मजू देवी पति- तूफानी पाडेय ग्राम- बसत बिहार बस्ती दिग्धी कला पश्चिमी पो०+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	कैंसर रोग	1,60,000	एक लाख साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	उर्मिला देवी पति- स्व० जीतेन्द्र सिंह ग्राम- सजय नगर बिग्रहपुर पो०- जी०पी०ओ० थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			2,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1986(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।—

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र प्रसाद सिंह पिता— रामबीर सिंह ग्राम— सिरसा खेमकरण पो०— सराय बॉक्स थाना— भेलदी जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/— (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०—36930644306 खाता धारक का नाम—“बुद्धा कैसर सेंटर प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम— RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक, प्रमुख

ज्ञापक

1987 (14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई.सी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इंद्रजीत सिंह पिता- रामनरेश सिंह ग्राम+पो0+थाना- परवलपुर जिला-नालंदा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा-

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1988 (14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेद्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.. ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **06.07.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सैयद शकील इमाम पिता— सैयद जकी इमाम फरीदी ग्राम— इमाम कॉटेल अलीनगर कॉलोनी पो0— अनीसाबाद थाना— गर्दनीबाग जिला— पटना	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
2	महेन्द्र प्रसाद पिता— स्व0 प्रयाग प्रसाद ग्राम+पो0— गोरडीहा थाना— रफीगज जिला— औरंगाबाद	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1989 (14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरेस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पवन कुमार पिता- श्याम लाल सिंह ग्राम- मुस्तफापुर पो०+थाना- खगौल जिला- पटना	ट्रामा	55,000	पचपन हजार स्वीकृत।
2	अनीता कुमारी पिता- रामस्वरूप मिस्त्री ग्राम+पो०- महरवाँ थाना- रोह जिला- नवादा	Hepatitis B	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002695..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1990(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

1991 (14)

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक 9/7/2026

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदित्य आनंद पिता- मोहन कुवर ग्राम- पिढौली वार्ड 09 पो०- अमजदपुर पिढौली थाना- तेघडा जिला- बेगूसराय	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	रुन्ती कुमारी पति- सुबोध कुमार ग्राम- रिकाबगज पो०+थाना- टेकारी जिला- गयाजी	ब्रेन सर्जरी	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अमित कुमार पिता- रविन्द्र सिंह ग्राम+पो०- डीहपर थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			3,15,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,15,000/- (तीन लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-00030400000914 खाता धारक का नाम-"Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का



प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स0 BARBOPATNAX मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

(डॉ० श्रीमती) रेखा झा

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1991(14)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 202695 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	अमलेश कुमार पिता- नरेश गिरी ग्राम-निमुईआ वार्ड 11 पो०- निमुईया थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग डीवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	मनी कुमारी पति- मुरारीशरण सिंह ग्राम+पो०- नवादा थाना- मशरक जिला- सारण	हृदय रोग डीवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 9/7/2026

ज्ञापाक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी सैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शाकिर नट पिता- दिलजान मिया ग्राम+पो०- बभनबारा थाना- बडहरिया जिला- सिवान	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002672 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1993114)

पटना, दिनांक

9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **06.07.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	इंद्रजीत सिंह पिता- स्व० उदय प्रताप सिंह ग्राम- नियर बाबू बाजार गर्दनीबाग पो०- अनीसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला- पटना	Dialysis	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	गौरव कुमार पिता- भगवान दास ग्राम-सुल्तानपुर पो० दानापुर कैट थाना दानापुर जिला पटना	CKD	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 70,000/- (सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002675 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०- 41174672661, खाता धारक का नाम- CUREMARK HEALTHCARE PVT LTD, खाते का प्रकार- CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड स०- SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
- 8 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1994(14)

पटना, दिनांक 9/4/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002675 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) आई टी, मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/4/26
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मोहन कुमार
पिता- अवध किशोर सिंह
ग्राम- हसनपुरा
पो०- बालसोही
थाना- भगवानपुर
जिला- सिवान
पिनकोड- 841417

पटना, दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहन कुमार पिता- अवध किशोर सिंह ग्राम- हसनपुरा पो०- बालसोही थाना- भगवानपुर जिला- सिवान पिनकोड- 841417	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 238101502908, खाता धारक का नाम- MOHAN KUMAR, खाते का प्रकार- SAVINGS ACCOUNT, बैंक का नाम- ICICI BANK, शाखा का नाम- PATLIPUTRA BRANCH, IFSC कोड सं०- ICIC0002381 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2010(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

ICICI Bank

Patliputra Branch

G1, G2 Meera Apartments, Patliputra Colony, Patliputra, Patna 800013

RTGS / NEFT / IFS Code : ICIC0002381

VALID FOR THREE MONTHS ON

01/20/2020
D D M M Y Y Y

Pay CM PRAKASH

Or Bear

गो धारक

Rupees Two Laks only

अदा कर।

₹

200000/-

A/c No.

238101502908

खाता नं.

21/7/20

SBKIT CBS

PERSONAL BANKING : SAVINGS ACCOUNT

Payable at par at all branches of ICICI Bank Limited in India



Mohan Kumar

MOHAN KUMAR

Please sign above

⑈000088⑈ 800229016⑈ 502908⑈ 3⑈

cancel

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

ओम प्रकाश यादव
पिता- मुटूर यादव
ग्राम- कुटिया वार्ड 10
पो०- छितौना
थाना- विजयीपुर
जिला- गोपालगंज
पिनकोड- 841426

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ओम प्रकाश यादव पिता- मुटूर यादव ग्राम- कुटिया वार्ड 10 पो०- छितौना थाना- विजयीपुर जिला- गोपालगंज पिनकोड- 841426	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-7323000100026651, खाता धारक का नाम- OMPRAKASH YADAV, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड स०- PUNB0732300 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2011(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 0.02695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
9/7/26

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

खाता विवरण/ACCOUNT PARTICULARS

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

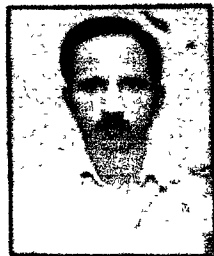
पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नेशनल बैंक - पंजाब
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

बैंक से पैसे भेजना Brought Forward	बैंक से पैसे भेजना B/F	बैंक से पैसे भेजना Inter Est	बैंक से पैसे भेजना B/F
बैंक से पैसे भेजना Carried Over	बैंक से पैसे भेजना C/O	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Cash	बैंक से पैसे भेजना Cash	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Cheque	बैंक से पैसे भेजना Ch	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Clearing	बैंक से पैसे भेजना Clg	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Committed	बैंक से पैसे भेजना Com	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Deposit	बैंक से पैसे भेजना Dnc	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Dividend	बैंक से पैसे भेजना Dwn	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Draw	बैंक से पैसे भेजना Dr	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Electronic Clearing Services	बैंक से पैसे भेजना ECS	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int
बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int	बैंक से पैसे भेजना Interest	बैंक से पैसे भेजना Int



Name: _____

Account Holder: _____

Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance of the previous day and against clear balance including withdrawal made through Banking & ATMs having regard to the withdrawal of the day already made.

कृपया पास बुक न मोड़ें / PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK
24 घंटे किफायतशील सेवा सेंटर सेवा उपलब्ध है। 24x7 Service Available
Toll free 24 hours call centre service available.

Ac/No → 7323000100026651

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

सोनमती देवी
पति- मजीत पडित
ग्राम+पो०- बराह
थाना- रानीतलाब
जिला- पटना
पिनकोड- 801112

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सोनमती देवी पति- मजीत पडित ग्राम+पो०- बराह थाना- रानीतलाब जिला- पटना पिनकोड- 801112	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 1584000100092785, खाता धारक का नाम- SONAMATI DEVI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम- PATOOT, IFSC कोड स०- PUNB0158400 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

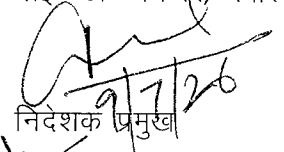
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2012(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.. 002695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख 9/7/26

STGT BAPT ACCOUNT PARTICULARS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

WFOY FILE: 65-0014337-135C PAGE: PDM#0154100

103400, 1403701, Toll-free 1-800-275-6640, Fax 11

DECLASSIFIED AUTHORITY: E.O. 13526, 11/19/2008

UNIT 1

FILE NO. 100-3-151

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

KEYWORDS: child abuse; child sexual abuse; child sexual exploitation; child sexual abuse investigation; child sexual abuse assessment

Post Sale - 7/6/92

SECRET

THE NEW CAPITALS

1990年12月15日

1944-1945 PIR: 20111

Registration Number: 1493801891

10-21-1971 11-11-1971

અધિકારી અધિકારી / Authorised Official/Manager

कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित करने/साहचर्य करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित भाषण/विवरणियों पर हस्ताक्षरित (मैनअल) प्रविष्टियाँ स्वीकार न करें।

Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

पाशायुक्त में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

[illegible]

A black and white portrait photograph of a woman with dark hair, looking directly at the camera. She is wearing a dark, high-collared garment. The photograph is framed by a thick black border.

नाम/Name _____ नाम/Name _____ नाम/Name _____

खाताधारक/Account Holder-1 खाताधारक/Account Holder-2 खाताधारक/Account Holder-3

यदि ग्राहकों के चेक को संकलने में षण्मासान्तर बनने के लिए पिछले दिन से अगर कोई दफ्तर संकलित दिन में एटीएम/किसी अन्य डिजिटल चैनल द्वारा खाते से किए गए आउटगो ऑफ स्टोर में कोई भ्रमन में तबकि

Bank shall only honour or pay the cheque of the customer against their balance as of the previous day and against clear cheques including any other valid mode through all Mail and other channel having regard to the withdrawal of the day already made in the account.

कृपया मत घुल न मोड़। PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK

इन नईतों पर 24 घंटे नि:शुल्क सहायता सेटिंग सेवा उपलब्ध है। 1899/1899/1899/2021

Toll Free 24 hours call centre 1800 1650 / 1800 7021

AC NO → 1584000100092785 ✓
 IFSC CODE → PUNB0158400
 BANK → PUNJAB NATIONAL BANK

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
बम बहादुर सिंह
पिता- बिरेन्द्र सिंह
ग्राम- यारपुर राजपुताना
पो०- जी पी ओ
थाना- गर्दनीबाग
जिला- पटना
पिनकोड- 800001

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बम बहादुर सिंह पिता- बिरेन्द्र सिंह ग्राम- यारपुर राजपुताना पो०- जी पी ओ थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना पिनकोड- 800001	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002675 ..द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 0512866057, खाता धारक का नाम- BAM BAHADUR SINGH, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- KOTAK MAHINDRA BANK LTD, शाखा का नाम- PATNA, IFSC कोड सं०- KKBK0005652 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

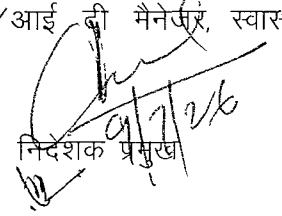
ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2013(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0. 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. बी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



CRN : 305249365
Account Number : 0512866057
Name(s) : BAM BAHADUR SINGH
Address : S-O BIRENDER SINGH
32(3) Yarpur Rajputana
PATNA - 800001
Bihar INDIA

Mode of Operation : SINGLY
Branch Name : PATNA
Branch Code : 5652
Branch Address : KOTAK MAHINDRA BANK LTD
G 03 OM COMPLEX
S P VERMA ROAD PATNA - 800001
Bihar INDIA

Preferred Contact No. : 9905854623
Account Opening Date : 01-Oct-2018
Nominee Registered : No
Nominee Name :

Branch Tel. No. : 7808952153
Branch MICR : 800485005
Branch IFSC : KKBK0005652



(As Registered With the Bank)

This is a system generated passbook and does not require signature and stamp

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सत्येन्द्र कुमार राय
पिता- रामअयोध्या राय
ग्राम- धुरवा मठ
पो०- बेतिया डीह
थाना- मनुआपुल
जिला- पश्चिम चम्पारण
पिनकोड- 845438

पटना, दिनांक... ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सत्येन्द्र कुमार राय पिता- रामअयोध्या राय ग्राम- धुरवा मठ पो०- बेतिया डीह थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण पिनकोड- 845438	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 35516357435, खाता धारक का नाम- SATYENDRA KUMAR RAI, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- SHANTINAGAR, IFSC कोड सं०- SBIN0014662 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2014(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 012695 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/7/26
निदेशक प्रमुख

सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले संक्षेपशब्द / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

a/c = Account/खाता

adj = Adjustmen* /समायोजन

Amt = Amount/रकम

Ar = Arrear/वकायफ

bal = Balance/संत

Capn = Capitalisation/पूंजीकरण

Chg/ch = Charge/प्रभार

Chq = Cheque/चेक

CiF = Customer Information File/ ग्राहक सूचना फाइल

Clos = Closure/समाप्ति

Coll = Collection/संग्रहण

Comm = Commission/कमीशन

COR/CORR = Correction/संशोधन

CR = Credit/उप

Csh = Cash/नकदी

dep = Deposit/उप

Dft = Draft/ड्राफ्ट

dish/dsh = Dishonor/अस्वीकृत

DR = Debit/जमा

DOB = Date of Birth/जन्म तिथि

eft = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

Inop = Inoperative/निष्क्रिय

Ins = Insurance/बीमा

Int / In = interest/ब्याज

Ion/loan/उप

min = Minimum/न्यूनतम

os = Outstanding/उत्पन्न

P&T = Postal Charges/पत्र शुल्क

Pos = Point of Sale/पॉइंट ऑफ सेल

Pr = Principal/मूलधन

proc = Processing Charge/प्रसिद्धा प्रभार

rd = Recurring Deposit/आवर्त उप

ret/rtn = Return/वापस

Rnd = Round off/गुणकित

sb = Savings Bank/बचत बैंक

SC = Short Credit/शॉर्ट क्रेडिट

SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश

S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ पुत्र/ पुत्री/पत्नी/पति

tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण

txn = Transaction/लेनदेन

Wdl = Withdrawal/अवकाश

*MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/उप संत (बचत बैंक + लिंक्ड मोड खाता)



State Bank of India
भारतीय स्टेट बैंक

BRANCH OFFICE
शाखा कार्यालय

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra

पुणे, महाराष्ट्र
Pune, Maharashtra



राजेश कुमार राव

सं० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अर्चना कुमारी
पति- सुबोध कुमार
ग्राम- भगवानपुर सिमरा
पो०- मिर्जापुर
थाना- पारु
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843126

पटना, दिनांक.

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 06.07.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अर्चना कुमारी पति- सुबोध कुमार ग्राम- भगवानपुर सिमरा पो०- मिर्जापुर थाना- पारु जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843126	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 002695... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 44278100000052, खाता धारक का नाम- ARCHANA KUMARI, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- BANK OF BARODA, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- BARB0PAHMUZ में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

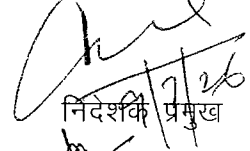
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2015(14)

पटना, दिनांक 9/7/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 002625 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख



Reference Card

IFSC Code : BARB0PAHMUZ
Cif No. : XXXXXXXX
UID Number : 877906749188
Account Number: 44278100000052
First Name : Archana
Last Name : Kumari
Date of Birth : 10/03/ 1993
Address : Bhagwanpur Simra
City : Saraiya, Bihar
Pin Code : 843126
Mobile No. : 9939531457
Gender : F
Ko Location : Sahdani



Sahdani